अति–अल्पकालीन ई–निविदा आमंत्रण सूचना

क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड कप्तानगंज कुशीनगर द्वारा मनरेगा/राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017–2018 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों पर केवल सामग्री की आपूर्ति हेतु एतद्द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। यह निविदा उ0प्र0 शासन के ई–टेंडरिंग पोर्टल (http:// www.etender.up.nic.in) पर दिनांक 22.02.2018 को पूर्वान्हः 9.00 बजे से दिनांक 03.03.2018 को अपरान्हः 3.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इच्छुक आपूर्तिकर्ता इसी अवधि में निविदा देख तथा डाल सकते है। निविदा से जुडी नियम एवं शर्ते भी पोर्टल पर उपलब्ध है। यह ध्यान देने का विषय है कि **निविदा डालने का कोई आफलाईन विकल्प नही है।** निविदा दिनांक 05.03.2018 को पूर्वान्हः 12.00 बजे खोली जायेगी।

निविदादाता को निविदा अपलोड करने के बाद तथा निविदा खुलने की तिथि से कम से कम एक कार्य दिवस पहले समस्त अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति और धरोहर राशि की मूलप्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी के पास होगा। निविदा के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

खण्ड विकास अधिकारी/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कप्तानगंज, कुशीनगर।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कप्तानगंज–कुशीनगर

पत्रांक– 824A/ई–टेण्डर/2017–2018 दिनांक :– 15 फरवरी, 2018

प्रतिलिपिः–

1:– समस्त सहायक विकास अधिकारी कप्तानगंज ।

2:– जिला सूचना अधिकारी (कुशीनगर) को इस अनुरोध के साथ कि न्यूनतम् 02 प्रतिष्ठित दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

3:– नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

4:– माननीय प्रमुख क्षेत्र पंचायत–कप्तानगंज की सेवा में सूचनार्थ।

खण्ड विकास अधिकारी/
मुख्य कार्यकारीअधिकारी
कप्तानगंज, कुशीनगर।

नियम व शर्तेः–

1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2. आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 नेटवर्क मे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। वह आयकर देता हो, प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, तथा तीन वर्ष का आयकर क्लियरेन्स संलग्न करना होगा।
3. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित क्रय समिति के सदस्यों द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर टेण्डर खोला जायेगा।
4. सामग्री की आपूर्ति क्षेत्र पंचायत–कप्तानगंज की परिधि में किया जायेंगा।
5. जो दरें प्रस्तुत की जायें वह जी0एस0टी0 एवं कार्टेज तथा अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6. निविदादाता द्वारा खण्ड विकास अधिकारी–कप्तानगंज के कार्यालय में ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व निम्नलिखित अभिलेख पंजीकृत डाक से या व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा–
   (क) निविदा शुल्क मूल रूप में।
   (ख) बिड सिक्योरिटी मूल रूप में।
   (ग) निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं की सत्यता के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में।
7. निविदा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विडर्स द्वारा क्र0सं0 06 में वर्णित प्रपत्रों को जिस लिफाफे में बन्द करके ख0वि0अ0 कप्तानगंज के कार्यालय में जमा कराया जाये उस पर निविदादाता द्वारा केवल बिड आई0डी0 संख्या (आन लाईन बिड सबमिट करने पर स्वतः जनित) अंकित की जाय। इस पर निविदादाता द्वारा अपना/फर्म का नाम अंकित न किया जाय। यह लिफाफा दिनांक 05.03.2018 को पूर्वान्हः 10.00 बजे कार्यालय में उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
8. समस्त सामग्री आपूर्ति हेतु संबंधित के पास फर्म/डीलरशिप/एजेन्सी/सप्लायर होना अनिवार्य है। अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गई सामग्री का पक्का बिल भी प्रस्तुत करना होगा।
9. बिना पूर्व सूचना के प्राक्कलित लागत कम/अधिक की जा सकती है।
10. निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर राशि उपलब्ध न होने की दशा में निविदा स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।
11. निविदा शुल्क बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 के रूप में जमा किया जा सकता है।
12. सामग्री की आपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी के आदेश पर ही की जायेगी।
13. सामग्री की मात्रा यथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढाई जा सकती है।
14. प्रस्तुत दरें पी0डब्लू0डी0 द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगी।
15. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा।
16. कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी /अवर अभियन्ता/प्रमुख क्षेत्र पंचायत/सहायक लेखाकार/विकास खण्ड के कर्मचारियों के सगें सम्बन्धी रिश्तेदारों द्वारा दरें प्रस्तुत नही की जायेगी उक्त आशय की नोटरी शपथपत्र 100.00 रूपये के स्टैम्प पेपर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
17. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी के पास होगा।
18. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नही किया जायेगा।
19. धरोहर राशि नगद/राष्टीयकृत बैक के एफ0डी0आर0 पत्र/एन0एस0सी0/ डाक घर बचत–पत्र/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के नाम बन्धक हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
20. जिन निविदा दाताओं का जो भी क्वालिटी मानक के अनुसार नही होगा वह सामग्री उन्हे कार्यस्थल से स्वयं उठवाना पडेगा उसका सारा खर्चा भी स्वयं को वहन करना होगा। अधोहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार होगा कि काम में बाधा एवं रूकावट होने पर मजदूरों की मजदूरी का भुगतान भी देना होगा न देने पर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
21. सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही कोई भुगतान किया जायेगा इसमें कोई आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी।
22. इण्टरलाकिंग ईटं की आपूर्ति हेतु आई0एस0ओं0 का प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
23. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
24. सामग्री के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

खण्ड विकास अधिकारी/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कप्तानगंज, कुशीनगर।